# न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, सुलतानपुर।

**पीठासीन राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}**
**(J.O. Code- UP2397)**

**विशेष सत्र परीक्षण संख्या-101/2004**

UPST010000582004

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**।

**बनाम**

1. बब्बन सिंह उर्फ विश्वनाथ **(मृतक दौरान मुकदमा)**
2. राम सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र बब्बन सिंह
3. राजेश सिंह उम्र 52 वर्ष पुत्र बब्बन सिंह
4. लाल बहादुर सिंह **(मृतक दौरान मुकदमा)**
5. हरिहर सिंह उम्र 66 वर्ष स्व० लालता प्रसाद

निवासीगण ग्राम सराय जुझार, थाना चांदा, जिला सुलतानपुर।

.....**अभियुक्तगण**।

**मु0 अ 0 सं0-301/2001**
**धारा-147,323/149,427,452 भा०दं०सं०**
**व धारा-3(1)(10) एस०सी०एस०टी०एक्ट**
**थाना-चांदा, जिला-सुलतानपुर।**

| | |
|---|---|
| विद्वान विशेष लोक अभियोजक | 1. श्री गोरखनाथ शुक्ला |
| विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष | 1. श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह<br>2. श्री लाल बहादुर सिंह |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | एफ०आई०आर० दर्ज करने की तिथि | 17.07.2001 |
| 2. | आरोप पत्र की तिथि | 01.10.2001 |
| 3. | आरोप विरचित करने की तिथि | 25.04.2005 |
| 4. | साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि | 03.02.2010 |
| 5. | निर्णय की तिथि | 13.04.2026 |

## निर्णय

1. अभियुक्तगण बब्बन सिंह उर्फ विश्वनाथ, राम सिहं, राजेश सिंह, लाल बहादुर सिंह एवं हरिहर सिंह का विचारण न्यायालय द्वारा थाना-चांदा, जिला-सुलतानपुर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-301/2001, अन्तर्गत धारा-147,323,504,427,452,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर किया गया।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है कि "प्रार्थी से मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर गांव के बब्बन सिंह दिनांक-04.03.2001 को समय लगभग 10 बजे दिन में अपने लड़के राम सिंह तथा राजेश व लाल बहादुर, रवीन्द्र सिंह तथा हरिहर सिंह लाठी, हाकी व कुल्हाड़ी लेकर प्रार्थी के दरवाजे पर आकर प्रार्थी की बांसकोठ से बांस काटने लगे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए उपरोक्त सभी लोग मा बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए प्रार्थी का छप्पर, हौदी, खूंटा तोड़ने लगे। प्रार्थी ने मना किया तो राम सिंह ने प्रार्थी को हाकी से मारा। प्रार्थी तथा उसके घर की औरत जब शोर मचाई तो गांव के घेर्राऊ व अभिलाख वगैरह आ गये। प्रार्थी किसी तरह जान बचाकर जब अपने घर मे घुस गया तो उक्त लोग घर मे घुसकर लात मूका से मारा। तथा जब घर की औरतें दौड़ी तो उन्हे भी धक्का देकर गिरा दिया। लोगों ने कहा कि चमार की जाति साले मुकदमा भले ही जीत गये हो लेकिन तुम्हे गांव मे नहीं रहने देंगे। जाते समय उपरोक्त मुल्जिमान आदि प्रार्थी की सिलाई की मशीन, ग्राहकों का कपड़ा तथा दरवाजे पर बंधी बकरी को खोल ले गये और भैंस तथा बैलों को लाठी व हाकी से बुरी तरह मारा पीटा, दीवाल भी गिरा दिया। जिसके नाते प्रार्थी का बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद उक्त सारे मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।"

3. वादी मुकदमा कोलई की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156)(3) दं०प्र०सं० पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजि० के आदेश दिनांक-17.03.2001 के अनुक्रम में अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु थाना स्थानीय को आदेशित किया गया। तत्पश्चात थाना चांदा, जिला सुलतानपुर द्वारा दिनांक-17.07.2001 को अभियुक्तगण बब्बन सिंह उर्फ विश्वनाथ, राम सिंह, राजेश सिंह, लाल बहादुर सिंह, रवीन्द्र सिंह एवं हरिहर सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं० संख्या-301/2001, धारा-147,323,504,427,452,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया जिसका विवरण जनरल डायरी में अंकित किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण तैयार करके नक्शा नजरी तैयार

की गयी। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान एकत्रित करने के पश्चात अभियुक्तगण बब्बन सिंह उर्फ विश्वनाथ, राम सिहं, राजेश सिंह, लाल बहादुर सिंह एवं हरिहर सिंह का विचारण इस न्यायालय द्वारा थाना-चांदा, जिला-सुलतानपुर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० संख्या-301/2001, धारा-147,323,504,427,452,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक-**25.01.2003** को प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा अपनी-अपनी जमानतें करायी। प्रस्तुत सत्र परीक्षण दाण्डिक वाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-**147,323/149,427,452** भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत दिनांक-25.04.2005 को आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की। **अभियुक्त बब्बन सिंह उर्फ विश्वनाथ सिंह तथा लाल बहादुर सिंह की दौरान मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध समस्त कार्यवाही उपशमित कर दी गयी।**

5. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः-

| क्रम सं० | साक्षी संख्या | साक्षी नाम |
|---|---|---|
| 1. | पी०डब्लू०-1 | श्रीमती धनपती देवी |
| 2. | पी०डब्लू०-2 | डा० रमाशंकर |
| 3. | पी०डब्लू०-3 | संजय कुमार |

6. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :-

| क्रम सं० | प्रदर्श | प्रपत्र | साबित करने वाले साक्षी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श क-1 | आघात आख्या | डा० रमाशंकर |
| 2. | प्रदर्श क-2 | चिक एफ०आई०आर० | संजय कुमार |
| 3. | प्रदर्श क-3 | जी०डी० | संजय कुमार |
| 4. | प्रदर्श क-4 | नक्शा-नजरी | संजय कुमार |
| 5. | प्रदर्श क-5 | आरोप पत्र | संजय कुमार |

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक-12.01.2026 को अंकित की गयी। अभियुक्तगण

द्वारा घटना को गलत बताते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा दिये गये बयानों को रंजिशन एवं गलत बयान दिया जाना बताया है।

8. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

9. यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करे, जिसके बावत् अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है। विवेचनात्मक विश्लेषण हेतु मुख्य परीक्षा में निम्नवत् बयान प्रस्तुत किया हैः-

10. साक्षी **<u>पी0 डब्लू0-1 श्रीमती धनपत्ती देवी</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "मै अनुसूचित जाति में चमार बिरादरी की हूं। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मुल्जिमान बब्बन, राम सिहं, राजेश, हरिहर, लाल बहादुर तथा रवीन्द्र सिंह ठाकुर जाति के हैं। मेरे घर का दरवाजा उत्तर तरफ है। दरवाजे के सामने सेहन जमीन है। इसके उत्तर पूरब-पश्चिम रास्ता है। मेरे घर के पूरब तरफ कुछ दूरी पर मेरी बुआ फूला देव का घर है। इनके आदमी का नाम मुरली है। यह घटना मेरे दरवाजे के सामने हुई। मेरी आबादी की जमीन मे बांस कोठ व कटहल के पेड़ हैं, जानवर भी बांधे जाते थे। इस जमीन पर बब्बन सिंह आदि मना करते थे। इसके बावत मेरे ससुर हरखू ने एक मुकदमा सुलतानपुर मे दायर किया था जो मेरे हक में फैसला हुआ था। इस बात को लेकर मुल्जिमान नाराज रहते थे। घटना हुए 9-10 साल हुआ। दिन के 10 बजे रविवार का समय था। उस समय थोड़ी थोड़ी ठण्ड़ पड़ रही थी। मेरे दरवाजे पर उपरोक्त सभी मुल्जिमान अपने हाथ मे लाठी डण्डा, कुल्हाड़ी, हाकी लेकर आये, मुल्जिमान पहले बांस काटने लगे। मेरे आदमी ने इन लोगों को मना किया तो मुल्जिमान कहे कि चमार साले मुकदमा भले जीत गये हो, तुम्हे मार डालूंगा, गाव मे नहीं रहने दूंगा। इसके बाद मारने लगे। मेरा आदमी जब घर के अन्दर भागा तो मुल्जिमान घर के अन्दर घुस कर मुझे भी मारै पीटे। फिर मुल्जिमान घिसियाकर मुझे भी बाहर आये और बाहर भी मारा। जाते समय मुल्जिमान सिलाई मशीन का पावदान तोड़ दिए, छप्पर तोड़ दिए, दीवाल गिरा दिए। और सिलाई मशीन की मूड़ी उठा ले गये। हल्ला गोहार पर मेरे ससुर घेर्राऊ, राम अभिलाख मौके पर आ गये जिन्होने घटना को देखा व बीच-बचाव किया। मुल्जिमान ग्राहक का कपड़ा भी उठा ले गये, जाते समय एक बकरी बांधे थे, रवीन्द्र खोल कर ले गये। हौदी और खूंटा तोड़ दिया। और भैंस को मारा। हमलोगों ने ईंटा अद्धा चलाया था। जाते समय मुल्जिमान गाली दिये कि साले मादरचोद और हम सबको भी गाली दिया। मुल्जिमान के

मारने से मेरे छाती में, सिर में चोटें आयी थी। मेरे आदमी की डाक्टरी हुई थी। मेरे शरीर पर जाहिरा चोट न होने के कारण डाक्टरी नहीं हुई। इस घटना की रिपोर्ट लिखाने मेरे आदमी थाने पर गये थे। रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मेरे आदमी ने घटना के बारे में यही लिखवाया था। पुलिस के सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। इस समय मै कटारी रघुराम पुर थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़ में रामराज से शादी कर लिया है।"

11. साक्षी **<u>पी0 डब्ल्यू-02 डा० रमाशंकर</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक-06.03.2001 को मै बतौर चिकित्साधिकारी सी०एच०सी० लम्भुआ मे तैनात था। उसी दिन 11.40 बजे मैने कोलई उम्र् 16 वर्ष का चिकित्सीय मुआयना किया उनके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी-

1. फटा हुआ घाव 2.5 x 0.5cm x Scalp deep बायीं तरफ खोपड़ी पर था, जो बायें कान के ऊपरी भाग से 5.5 सेमी० ऊपर था। खून का थक्का जमा हुआ था। किनारा अनियंत्रित थे।

2. बायें भुजा के ऊपरी भाग मे दर्द बता रहा था, उसमे कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

3. दाहिने पुष्ठ पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

मेरी राय में चोट नं०-1 किसी सख्त कुंदालय से आना सम्भव थी। साधारण प्रकृति की थी। चोट 24 घण्टे से ज्यादा की थी। चोट सं०-2 व 3 पर कोई राय नहीं दी गयी क्योंकि कोई जाहिरा चोट नहीं थी। मूल आहत आख्या में मैने जो मुआयना के समय तैयार की थी, जो मेरे लेख व हस्ताक्षऱ में शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। उपरोक्त सभी चोटें दिनांक-04.03.2001 के सुबह 10 बजे की हो सकती हैं। आहत आख्या चोटहिल का पहचान चिन्ह व निशानी अंगूठा अंकित है जो मेरे द्वारा प्रमाणित है।"

12. साक्षी **<u>पी0 डब्ल्यू-03 संजय कुमार (तत्कालीन विवेचक)</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक-18.07.2001 को मै सी०ओ० लम्भुआ नियुक्त था। मु०अ०सं०-301/2001 की विवेचना मैने ग्रहण किया। मुकदमे की चिक व जी०डी० पैरोकार के माध्यम से नकल चिक प्राप्त हुई। जिसका तस्किरा केस डायरी मे अंकित किया गया। इंजरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका तस्किरा केस डायरी मे अंकित किया। तत्पश्चात थाना चांदा जाकर फौजदारी मोहर्रिर अशोक कुमार का बयान अंकित किया। वो मेरे मातहत थे, जिन्होने उस मुकदमे की चिक व जी०डी० लिखा था। उनके हस्तलेख व हस्ताक्षऱ से परिचित होने की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-2, जी०डी० पर प्रदर्श क-3 डाला गया। तत्पश्चात मै मौके पर जाकर वादी मुकदमा ओलई का बयान लिया था। उसी दिन सराय जुझार जाकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी धनपत्ती का बयान लिया। जिन्होने

के घटना का समर्थन करके अपना बयान दिया और मौके पर जाकर नक्शा-नजरी का अवलोकन किया। वादी की निशानदेही पर नक्शा-नजरी तैयार किया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। उसी दिन समयी साक्षी कमला प्रसाद दूबे का बयान लिया, उसी क्रम में दौरान विवेचना रवीन्द्र सिंह नामित अभियुक्त की उपस्थिति नही पायी गयी। उनकी नामजदगी गलत पायी गयी। गवाह शुशील कुमार तिवारी व राधेश्याम उर्फ घेर्राऊ गवाह की राम अभिलाख सिंह का बयानात लिया गया। विवेचना के दौरान 17.09.2001 को माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त हुआ, जिसका तस्किरा केस डायरी मे अंकित किया गया। दिनांक-28.08.2001 को अभियुक्त बब्बन उर्फ विश्वानाथ, राजेश सिहं, राम सिंह, लाल बहादुर व हरिहर सिंह की तलाश किया गया तो अभियुक्त हरिहर सिंह अपने दरवाजे पर मिले जिन्हे तत्कालीन एस०ओ० द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तस्किरा केस डायरी में अंकित किया गया। उसी क्रम में अभियुक्त बब्बन सिंह, राम सिहं, राजेश सिंह व लाल बहादुर सिंह, रवीन्द्र सिंह तथा विजय प्रताप सिंह सहयोगी विजय प्रताप व सुशील तिवारी के साथ उपस्थित आये। सम्पूर्ण विवेचना व बयानात से अभियुक्तगण बब्बन उर्फ विश्वानाथ, राजेश सिहं, राम सिंह, लाल बहादुर तथा हरिहर सिंह के विरुद्ध धारा-147,323,504,427,452,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप पत्र साबित पाकर प्रेषित किया जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।"

13. **<u>अभियोजन का तर्कः-</u>** अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि कथित घटना दिनांक-04.03.2001 को समय 10-11 बजे के बीच की है। अभियुक्तगण वादी कोलई के गांव के रहने वाले हैं, कथित घटना वाले दिन उपरोक्त सभी अभियुक्तगण वादी के दरवाजे पर स्थित बांस कोठ में जबरन बांस काटने लगे, जब वादी ने मना किया तो जान से मार डालने की धमकी व भद्दी-भद्दी गाली तथा जातिसूचक गालियों का प्रयोग करते हुए मारने पीटने लगे तथा बांस की कोठ से लगभग 20 बांस काट डाले। मारने पीटने से वादी पक्ष के कई लोगों को चोटें आयी। चोटहिल कोलई की चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली मे दाखिल है। जिसे चिकित्सक द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर साबित किया गया है। अभियोजन की ओर से दाखिल शेष प्रपत्रों को औपचारिक साक्षीगण द्वारा विधिवत साबित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतयाः सफल रहा है।

14. **<u>बचावपक्ष का तर्कः-</u>** प्रतिउत्तर में बचावपक्ष की ओर से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि बांस कोठ अभियुक्तगण की ही थी। अभियुक्त राम सिंह अपनी ही बांस कोठ में बांस काट रहा था, वादी पक्ष के लोग जबरन मौके पर पहुंचकर अभियुक्त राम सिंह को जान से मारने की नीयत से लाठियों से मारने लगे। मारपीट कर अभियुक्त राम सिंह को घातक चोटें पहुंचाई जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से वादी कोलई व उनके परिजनो के विरुद्ध थाना चांदा पर उसी दिन मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था। चोटहिल राम सिंह का मेडिकल घटना के ठीक बाद सी०एच०सी० लम्भुआ में कराया गया था। चोटहिल राम सिंह के शरीर पर कुल छः चोटें पायी गयी थी। उसी मामले से बचने के लिए वादी पक्ष के द्वारा अत्यन्त विलम्ब से न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरुद्ध क्रास मामला पंजीकृत कराकर अभियोजन की कार्यवाही संचालित की गयी थी। घटना स्वयं वादी पक्ष के लोगों के द्वारा कारित की गयी थी। अभियुक्त राम सिंह के शरीर पर आयी चोटें यह दर्शित करती हैं कि वादी पक्ष के लोग सुनियोजित तरीके से अभियुक्त राम सिंह को मारपीट कर बांस की कोठ को कब्जा करना चाहते थे। वादी पक्ष ही आक्रामक पक्ष रहा है क्योंकि वादी पक्ष की संख्या मौके पर अधिक थी जबकि अभियुक्त राम सिंह अकेले ही बांस की कोठ पर बांस काट रहे थे। अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतया विफल रहा है।

## <u>निष्कर्ष</u>

अभियोजन का यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्ति-युक्त संदेह से साबित करे-

15. विधि व्यवस्था **<u>श्रीमती शमीम बनाम दिल्ली राज्य जे0टी0 2018(9) 23 ए0सी0</u>** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **"**प्रत्येक आपराधिक विचारण सत्य की खोज का प्रयास (Quest) है। आपराधिक विचारण करने वाले न्यायाधीश को केवल यह देखना उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी निर्देश को सजा न होने पाये बल्कि यह भी देखना है कि कोई दोषी व्यक्ति छूटने न पाये। दोनो समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनो लोक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन प्रत्येक न्यायाधीश को करने है।**"**

**16.** पत्रावली में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के विश्लेषण के क्रम में यह प्रकट होता है कि कथित विवादित स्थल बांसकोठ के स्वामित्व के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य विवाद था जिसके सम्बन्ध में सिविल कोर्ट मे सिविल वाद की कार्यवाही संचालित की गयी थी। और उसी विवादित भूमि मे स्थित बांस की कोठ में बांस काटते समय उभयपक्षों के मध्य मारपीट व झगड़ा हुआ था जिसके सम्बन्ध में उभयपक्ष की ओर से एक-दूसरे के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही संचालित की गयी है। अतः उभयपक्षों के मध्य घटनास्थल, घटना का दिन व समय एक स्वीकृत तथ्य है।

17. क्रास केस के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Mitthulal vs State of M.P., AIR 1975 SC 149** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "If there are cross-cases, evidence recorded in the one cannot be considered in other. It is elementary that each case must be decided on the evidence recorded in it and evidence recorded in other case though it may be a cross-case, cannot be taken into account in arriving at the decision. Even in civil cases this cannot be done unless the parties are agreed that the evidence in the one case may be treated as evidence in the other. Much more so in criminal cases, this would be impermissible. It is doubtful whether the evidence recorded in criminal case can be treated as evidence in the other even with the consent of the accused."

18. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित है कि दोनों पक्ष के मध्य मार पीट की घटना हुयी थी तथा दोनों पक्ष की ओर से एक-दूसरे के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकार न्यायालय को क्रास केस के मामले में यह देखना है कि घटना स्थल पर कौन-सा पक्ष आक्रामक और हमलावर था और किस पक्ष को अपना बचाव करने का आधार उपलब्ध था अथवा उभय पक्षों के मध्य मामला स्वतंत्र संघर्ष (Free-fight) का है।

19. अभियोजन का कथन है कि वादी मुकदमा कोलई के पिता हरखू के द्वारा अभियुक्त बब्बन सिंह आदि के विरुद्ध एक सा०वाद सं०-172/1987 हरखू बनाम बब्बन सिंह आदि दीवानी न्यायालय मे दायर किया गया था जो दिनांक 13.05.1998 को

सुलहनामे के आधार पर निर्णीत किया गया था। सुलहनामे के आधार पर कथित विवादित भूमि व बांस की कोठ इस मुकदमे के वादी मुकदमा के परिजनो को प्राप्त हुई थी। लेकिन वादी कोलई के पिता हरखू के मृत्यु के पश्चात अभियुक्तगण सुलहनामा को मानने को तैयार नहीं थे और वादी पक्ष की जमीन को जबरन कब्जा करना चाहते थे। इसी कारण से वादी पक्ष की ओर से एक इजराय वाद सं०-01/1999 न्यायालय पंचम सिविल जज (प्र०खं) सुलतानपुर मोलई आदि बनाम बब्बन सिंह आदि दाखिल किया गया था। पुनः अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय द्वारा पारित समझौता डिक्री का उल्लंघन करते हुए विवादित भूमि मे बढ़ाकर दीवाल बना ली गयी तथा चार कोठ बांस काट डाला गया। अभियुक्तगण को जब समझौता डिक्री के बारे मे बताया गया तो वह अमादा फौजदारी हो गये। जिसकी शिकायत थानाध्यक्ष चांदा को भी की गयी थी। लेकिन थानाध्यक्ष चांदा ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। समझौता डिक्री का खुला उल्लंघन होने के कारण तथा बांस की कोठ से सैकड़ों बांस काट लेने के कारण वादी पक्ष की ओर से एक अन्य इजराय वाद सं०-02/2001, न्यायालय अपर सिविल जज (प्र०खं) एफ०टी०सी० सुलतानपुर में दाखिल किया गया जिसमें न्यायालय के आदेश से कमीशन की कार्यवाही भी करायी गयी थी। कमीशन रिपोर्ट दिनांकित-29.05.2018 पत्रावली मे दाखिल की गयी है। उक्त कमीशन रिपोर्ट मे इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि अभियुक्तगण की ओर से कमीशन कार्यवाही के दौरान सूचना होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उसपर हस्ताक्षर बनाया गया। उपरोक्त तथ्य से यह प्रदर्शित होता है कि अभियुक्तगण ही आक्रामक पक्ष थे। जबकि वादी पक्ष को अपने शरीर व संपत्ति की रक्षा का वैक्तिक अधिकार प्राप्त था।

20. बचाव पक्ष का कथन है कि कथित बांस की कोठ अभियुक्तगण की ही थी। अभियोजन पक्ष जिस बांस की कोठ को अपना बताता है, वह डिक्रीशुदा संपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं थी। अभियुक्त राम सिंह अपनी बांस की कोठ से बांस काट रहे थे, वादी पक्ष के लोगों के द्वारा जबरन हस्ताक्षेप करते हुए एकराय बनाकर अकेले राम सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया गया और मारपीट कर उसे घातक चोटें पहुंचाई। यदि मौके पर राम सिंह के परिजन घटनास्थल पर पहुंच कर बीच बचाव न करते तो वादी पक्ष के लोग राम सिंह की मृत्यु कारित कर देते। घटना स्वयं वादी पक्ष के लोगों के द्वारा ही शुरू की गयी है। अभियुक्त राम सिंह के शरीर पर आयी चोटें यह प्रदर्शित करती हैं कि आक्रामक पक्ष (Aggressor) वादी पक्ष ही रहा है।

21. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा कोलई को चोटें आयी थी। कोलई की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक-06.03.2001 को सी०एच०सी० लम्भुआ में अभियोजन

साक्षी पी०डब्लू०-2 डा० रमाशंकर द्वारा घटना किया गया था। तथा मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के रूप मे साबित की गयी है। मेडिकल रिपोर्ट में कोलई के शरीर पर केवल एक जाहिरा चोट फटा हुआ घाव 2.5 x 0.5 सेमी० x Scalp deep बायीं तरफ खोपड़ी पर था, जो बायें कान के ऊपरी भाग से 5.5 सेमी० ऊपर ता। खून का थक्का जमा हुआ था, किनारा अनियमित था। चिकित्सक की राय में चोटों की प्रकृति साधारण थी तथा चोटों की अवधि लगभग 24 घन्टे से अधिक की पायी गयी। चोटें किसी कुन्दालय से आना पायी गयी थी। बचाव पक्ष की ओर से चिकित्सक पी०डब्लू०-2 विस्तृत जिरह की गयी है। चिकित्सक ने अपनी राय मे बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर स्पष्ट किया कि चोट सं०-1 किसी सख्त वस्तु पर गिरने से नहीं आ सकती है। चिकित्सक के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि चोटहिल कोलई को आयी चोटें चोटों की प्रकृति गिरने से न आकर बल्कि मारपीट कर पहुंचायी जाने की संभावना व्यक्त की गयी है।

22. चोटहिल कोलई की मृत्यु हो जाने के कारण उसे बतौर अभियोजन साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन की ओर से बतौर चश्मदीद साक्षी पी०डब्लू०-1 श्रीमती धनपती देवी जो कि चोटहिल की पत्नी हैं, को परीक्षित कराया गया है। धनपत्ती देवी ने अपने मौखिक साक्ष्य मे कथित घटना का समर्थन करते हुए यह कहा है कि मुल्जिमान पहले बांस काटने लगे, जब उसके पति ने मना किया तो मुल्जिमान उसके आदमी को गाली देते हुए मारने लगे, जब उसका आदमी घर मे भागा तो साक्षी को भी मुल्जिमान मारने पीटे और उसके पति को घर के अन्दर से घसीटकर बाहर ले गये। साक्षी ने यह भी कहा कि मुल्जिमान जाते जाते ग्राहकों का कपड़ा उठा ले गये। उसकी सिलाई मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिए। उसकी बंधी बकरी को खोल ले गये, हौदी और खूंटा तोड़ दिए तथा भैंस को भी मारा पीटा। साक्षी ने अपने शरीर पर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण से इन्कार किया है और कहा है कि केवल उसके आदमी की डाक्टरी हुई थी, उसके शरीर पर जाहिरा चोटें न होने के कारण उसकी डाक्टरी नहीं हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर साक्षी ने बताया कि जब अभियुक्त राम सिंह बांस काट रहे थे, तब उसके पति अकेले ही रोकने गये थे। और इन्ही दोनो के बीच बातचीत व मारपीट हुई थी। और जब दोनो मे झगड़ा होने लगा तो 50 और लोग इकट्ठा हो गये। साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अभियुक्त राम सिंह के सिर पर जो चोट आयी थी, उसे उसने देखा था और यह भी कहा कि उसे चोट दरवाजे पर आयी थी। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि भीड़ मे वह यह नहीं देख पायी कि कौन व्यक्ति किसको मार रहा था। वह यह भी नहीं देख पायी कि किसने क्या तोड़ा। मारपीट और हुड़दंग में उसकी बकरी

कहां गयी, उसे नहीं मिली। साक्षी ने आगे कहा कि रवीन्द्र को बकरी खोलते उसने देखा था।

23. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये एकमात्र चश्मदीद साक्षी के आधार पर तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह प्रकट होता है कि कथित घटना उभय पक्षों के मध्य बांस की कोठ व आबादी की जमीन के विवाद के फलस्वरूप स्वतन्त्र संघर्ष (free-fight) के फलस्वरूप एक दूसरे के विरुद्ध कारित की गयी थी, जिसमें उभयपक्ष के एक-एक व्यक्तियों को चोटें आयी थी। प्रस्तुत मामले में चोटहिल कोलई के मेडिकल रिपोर्ट से भी उसके शरीर पर आयी चोटों की पुष्टि होती है। साक्षी पी०डब्लू०-1 श्रीमती धनपती देवी के बयान से यह भी साबित होता है कि कथित घटना के समय उसके घर मे रखी सिलाई मशीन तथा ग्राहकों के कपड़े, खूंटा-हौदी इत्यादि क्षतिग्रस्त हुए थे और उसकी बकरी को अभियुक्त रवीन्द्र द्वारा जबरन अपने साथ ले जाया गया था।

24. अभियुक्तगण पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा-3(1)(10) का भी आरोप विरचित किया गया है। उपरोक्त धारा यह प्रावधानित करती है किः-

> *कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। जनता के दृष्टगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से उसको अपमानित व अभित्रास करेगा, उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा।*

25. विधि व्यवस्था **Swarn Singh vs State 2008(4) RCR (Criminal) 74; 2009 (2) MH. LJ 22** में यह अवधारित किया गया है कि "The incidents of insult of intimidation have to occur in place accessible to and in the presence of both these ingredient would be absolutely accessory to constitute of offence." माननीय न्यायालय द्वारा पुनः यह कथन किया गया कि "We must, therefore, not confuse the expression place within public view' with the expression 'public place'. A place can be private place but yet within the public view."

26. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा ने न्यायालय के समक्ष दिये अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० में अभियुक्तगण द्वारा उसे तथा उसके

परिजनों को मा-बहन की गाली देने का कथन किया गया है, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने का उल्लेख वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। दौरान साक्ष्य अभियोजन की ओर से ऐसे किसी स्वतन्त्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा जनता के दृष्टगोचर स्थान पर वादी मुकदमा तथा उसके परिजनों को जातिसूचक गाली-गुप्ता दिया गया हो। अभियोजन की ओर से तथ्य के एकमात्र साक्षी पी०डब्लू०-1 श्रीमती धनपत्ती को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने न्यायालय में पहली बार जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने की बात का प्रकटन किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट के आरोप को साबित करने में असफल रहा है।

27. अतः अभियुक्तगण राम सिंह, राजेश सिंह एवं हरिहर सिंह को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-3(1)(10) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने एवं धारा-147,323/149,427,452 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाते हुए दण्डित किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

28. अभियुक्तगण राम सिंह, राजेश सिंह एवं हरिहर सिंह को आरोप अंतर्गत धारा-3(1)(10) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे दोषमुक्त किया जाता है तथा अन्तर्गत धारा-147,323/149,427,452 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाता है।

29. अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अपराधीगण राम सिंह, राजेश सिंह एवं हरिहर सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश पश्चात पेश हो। sd/-

दिनांक-13.04.2026

**(राकेश पाण्डेय)**
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०एस०टी०एक्ट
सुलतानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

sd/-

दिनांक-13.04.2026

**(राकेश पाण्डेय)**
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०एस०टी०एक्ट
सुलतानपुर।

Abhay Pratap Singh
**(Steno.)**

**भोजनावकाश पश्चात-**

30. विशेष सत्र परीक्षण की पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश पश्चात पेश हुई। दोषसिद्ध अपराधीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध अपराधीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

31. दोषसिद्ध अपराधीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में करीब 25 वर्षों से मुकदमा लम्बित रहा है। दोषसिद्ध अपराधीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे लगातार न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहे हैं एवं उनके द्वारा विचारण में सहयोग किया जाता रहा है। यह उनका यह पहला अपराध है। दोनो पक्षों के मध्य विवादित भूमि मे स्थित बांस की कोठ से बांस काटने को लेकर विवाद था जिसके फलस्वरूप यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। अतः दोषसिद्ध अपराधीगण की प्रास्थिति एवं उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए परिवीक्षा पर छोड़े जाने की याचना की गई।

32. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा मारने से कोलई को चोटें आयी थीं जिसे चिकित्सक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर साबित किया गया है तथा उसके घर मे घुसकर उसकी सिलाई मशीन, ग्राहकों के कपड़े, हौदी तथा खूंटा आदि को तोड़कर रिष्टि कारित किया गया था। अतः दोषसिद्ध अपराधीगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

33. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया।

34. प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध अपराधीगण राम सिंह, राजेश सिंह एवं हरिहर सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उनके पूर्व के आचरण को दृष्टगत रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले मे लघुतरकारीय एवं गुरुतरकारीय परिस्थितियों (Aggravating and mitigating circumstances) को ध्यान मे रखते हुए निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः-

**दण्डादेश**

दोषसिद्ध अपराधी राम सिंह, राजेश सिंह एवं हरिहर सिंह को मुकदमा अपराध संख्या-301/2001, विशेष सत्र परीक्षण संख्या-101/2004 प्रत्येक कोः-

1. धारा-323 के भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए जेल में बितायी हुई अवधि एवं मु0-1,000/-रूपये (एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. धारा-147 के भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए जेल में बितायी हुई अवधि एवं मु0-1,000/-रूपये (एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।

3. धारा-427 के भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए जेल में बितायी हुई अवधि एवं मु0-1,000/-रूपये (एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।

4. धारा-452 के भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए जेल में बितायी हुई अवधि एवं मु0-1,000/-रूपये (एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।

5. अधिरोपित जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि चोटहिल/वादी मुकदमा (न होने पर) उसके विधिक वारिसानों को बतौर प्रतिकर समान रूप से प्रदान की जाए।

6. धारा-481 भा०ना०सु०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण की अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक अभियुक्त मु०-20,000/-रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करे, उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बन्धपत्र व उनके जामिनदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभूपत्र इस निर्णय की तिथि से छह माह की अवधि तक वैध रहेंगे।

7. निर्णय की प्रति दोषसिद्ध अपराधीगण को निशुल्क प्रदान हो।

दिनांक-13.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट
सुलतानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

sd/-

दिनांक-13.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट
सुलतानपुर।

Abhay Pratap Singh
(Steno.)